भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 778402

P. 3-4

ॐ

विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) :— कृषि

2. वार्ड परगना :— मेरठ

3. मोहल्ला/ग्राम :— ग्राम काशी परगना तहसील व जिला मेरठ।

4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) :— जो कि भूमि भूमिधरी सालिम खसरा नं0 1164 सालिम रकबई 0.1900 हैक्टेयर खाता खतौनी संख्या 00167 लगानी परता खाता सालाना स्थित ग्राम काशी परगना तहसील व जिला मेरठ।

5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) :— हैक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल :— 0.1900 हैक्टेयर

7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) :— लागू नहीं

बाबत ....
नाम श्री कृष्णा ....

-2 NOV 2010

मे शामिल कर बेचा ।

रोकडिया
कोषागार, मेरठ

114 A ....

रू० 2090000

10000 + 20 = 10020

1000

तुलना/प्रा० शुल्क

.... सायरा बानो ... पुत्र/पुत्रि श्री मो० असलम
.... ग्राम कासमी मेरठ , ...
... उपनिबन्धक कोषांलत मेरठ तृतीय ...
... 2/11/10 को ... 1 ... बजे दिन में ...
... हेतु प्रस्तुत किया ...

2/11/10

... के निष्पादन को कुछ व ...
श्री ... रू० 2090000/- ...
... [illegible] ...

मे कुल धन राशि ...
मेरे समक्ष ... स्वीकार किया जिनकी ...
श्री ... [illegible] ...
निवासी ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR

A 7840

RAJESH KUMAR VE
ADVOC

RAJESH KUMAR VER
ADVOCA

8. अन्य विवरण ([illegible] रोड/कार्नर इत्यादि) :– नहीं

9. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि

प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान/कृषि

10. पेड़ों का मूल्यांकन :– लागू नहीं

11. बोरिंग/कुंआ/अन्य :– लागू नहीं

12. प्रतिफल की धनराशि 20,90,000/– रूपये।

प्रथम पक्ष की संख्या (1).

द्वितीय पक्ष की संख्या (1).

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000
पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 778400

विक्रय मूल्य अंकन :– 20,90,000/– रूपये।

मालियत बाजारी अंकन :– 20,90,000/– रूपये।

स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क अंकन :– 1,46,500/– रूपये।

1. विकीत भूमि भूमिधरी नगरीय क्षेत्र में स्थित है जो नगर निगम मेरठ की सीमा व विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर स्थित है।

2. विक्रीत भूमि भूमिधरी कृषि भूमि है तथा अन्य प्रयोजन हेतू विकय की गयी है।

3. विकीत भूमि का अन्य प्रयोजन का सर्किल रेट, माननीय जिलाधिकारी महोदय मेरठ द्वारा जारी सर्किल रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या 10 पर दर्शित तालिका के कम संख्या 6 के अनुसार 1,10,00,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

2 NOV 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 778399

4. विकीत भूमि भूमिधरी राष्ट्रीय मार्ग व जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

5. विक्रीत भूमि भूमिधरी का क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर है।

6. विक्रीत भूमि भूमिघरी में कोई पेड अथवा बाग नहीं है तथा कोई ट्यूवेल या बोरिंग नहीं है तथा विकय भूमि की सिंचाई प्राईवेट नलकूप से होती है।

7. विक्रेता व केता अनुसूचित जाति से नहीं हैं।

8. विकेता विकलांग अथवा दृष्टिहीन नहीं है।

9. इस विकय पत्र पर उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0 5–2756/11–2008–500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30–6–2008ई0 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

10. स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्य पूर्वक पालन किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 156570

-1 NOV 2010

[5]

हम कि श्रीमती सायरा बानो पत्नी श्री मौहम्मद असलग मरहूम निवासी ग्राम काशी परगना तहसील व जिला मेरठ...प्रथम पक्ष।।विक्रेता।।

एवम

श्री कृष्णा ऐन्टरप्रनोयर्स 114–ए, करिअप्पा स्ट्रीट मेरठ कैण्ट द्वारा प्रबन्धक श्री कमल दत्त शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा निवासी 1528/1, इन्दा नगर प्रथम, मेरठ शहर...द्वितीय पक्ष।।क्रेता।।

जो कि भूमि भूमिधरी सालिम खसरा नं0 1164 सालिम रकबई 0.1900 हैक्टेयर खाता खतौनी संख्या 00167 लगानी परता खाता सालाना स्थित ग्राम काशी परगना तहसील व जिला मेरठ के व्यक्तिगत स्वामी व काश्तकार व भूमिधर तथा पूर्ण विक्रय अधिकारी प्रथम पक्ष विक्रेता उपरोक्त है। उपरोक्त सालिम भूमि भूमिधरी को प्रथम पक्ष विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 156569

11 NOV 2010

[6]

के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 9–4–2008ई0 को श्री कर्मवीर सिंह आदि से कय की थी कि जिसकी रजि0 बही नं0 1 जिल्द 4470 के पृष्ठ 189/224 पर कमांक 3416 पर कार्यालय उप निबन्धक मेरठ तृतीय हुई। उपरोक्त भूमि भूमिधरी की बाबत प्रथम पक्ष विकेता का नाम राजस्व अभिलेखों में संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त तथा रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को बहैसियत होने पूर्ण स्वामी उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी को विक्रय पत्र आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त स्वामित्व एवं आधिपत्य अधिकार प्राप्त हैं, कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष विक्रेता के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष विक्रेता ने उपरोक्त भूमि भूमिधरी की जमानत पर कोई कर्जा या उधार किसी बैंक, पार्टी या सोसायटी या किसी वित्तीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 156568

संस्था सरकारी या गैर सरकारी से प्राप्त नहीं ले रखा है। प्रथम पक्ष विक्रेता को विक्रीत भूमि भूमिधरी का मूल्य इस समय द्वितीय पक्ष से अति उचित मिल रहा है विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष विक्रेता को पूरा पूरा लाभ है। अतः प्रथम पक्ष ने भूमि भूमिधरी विक्रीत रकबई 0.1900 हैक्टेयर, को अपने समस्त अधिकार काश्त व भूमिधरी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुऐ किसी भी अधिकार के चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो या न किया गया हो स्वयं इच्छानुसार स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में विक्रय मूल्य अंकन 20,90,000/– रूपये कि आधे जिसके अंकन 10,45,000/– रूपये होते हैं विक्रय मूल्य के उपलक्ष में हस्ते श्री कृष्णा एन्टरप्रनोयर्स 114–ए, करिअप्पा स्ट्रीट मेरठ कैण्ट द्वारा प्रबन्धक श्री कमल दत्त शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा निवासी 1528/1, इन्द्रा नगर प्रथम, मेरठ शहर द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दी और बेच डाली और समस्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 5000 Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 156075

1 NOV 2010

[8]

विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष विकेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त करके उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी को अपने समस्त अधिकार काश्त व भूमिधरी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकाल कर विक्रीत भूमि भूमिधरी को क्रेता के अधिकार काश्त व भूमिधरी स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि में दे दी है और द्वितीय पक्ष क्रेता को उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी का वास्तविक स्वामी व पूर्णतः अधिकारी बना दिया है। प्रथम पक्ष विकेता ने उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी का कब्जा मौके पर द्वितीय पक्ष क्रेता को सुपूर्द कर दिया है। अब द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकारी होगा कि वह उपरोक्त भूमि भूमिधरी को अपने जिस प्रकार चाहें प्रयोग में लायें तथा उसको अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करें। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ कि यह विक्रय पत्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 156074

1 NOV 2010

[9]

पूर्णतः सही एवं प्रचलन योग्य है। द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लें जिसमें प्रथम पक्ष विक्रेता को कोई एतराज नहीं होगा यदि नाम परिवर्तन के विषय में कोई बयान या बयान हल्फी देना पडेगा तो प्रथम पक्ष विक्रेता देने के लिये बाध्य होंगें। अब प्रथम पक्ष विक्रेता व उनके उत्तराधिकारीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। प्रथम पक्ष विक्रेता या उनके किसी सगे सम्बन्धी द्वारा उपरोक्त विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद करेगा और उस वाद वश उक्त विक्रीत भूमि भूमिधरी अथवा उसका अंश क्रेता महोदय के अधिकार काश्त व भूमिधरी स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 156073

-1 NOV 2010

[10]

जायेगा या विक्रय पत्र की मिलकियत में कोई कमी पायी जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो मय क्षति व खर्चा बैनामा मय सूद कानूनी, उस समय प्रचलित ब्याज व वाद व्यय सहित न्यायालय द्वारा जिस प्रकार भी उचित जाने प्रथम पक्ष विकेता या उनके उत्तराधिकारीगण की समस्त चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल कर लें इसमें प्रथम पक्ष विकेता या उनके उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व ऐतराज न होगा। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया ताकि सनद हो और वक्त जरूरत काम आवे।इति।।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

S 155201

29 OCT 2010

[11]

विवरण प्राप्ति समस्त विकय मूल्य

1. अंकन 5,00,000/– (केवल पांच लाख रूपये) द्वारा चैक संख्या 520272 दिनांक 20–10–2010ई0 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक लि0 शाखा मेरठ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किया।

2. अंकन 1,00,000/– (केवल एक लाख रूपये) द्वारा चैक संख्या 520273 दिनांक 20–10–2010ई0 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक लि0 शाखा मेरठ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किया।

3. अंकन 4,90,000/– (केवल चार लाख नब्बे हजार रूपये) द्वारा चैक संख्या 017459 दिनांक 5–11–2010ई0 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक लि0 शाखा मेरठ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किया।

4. अंकन 5,00,000/– (केवल पांच लाख रूपये) द्वारा चैक संख्या 017457 दिनांक 1–11–2010ई0 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक लि0 शाखा मेरठ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 5000 Rs.5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 156572

[12]

5. अंकन 5,00,000/- (केवल पांच लाख रूपये) द्वारा चैक संख्या 017458 दिनांक 3-11-2010ई0 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक लि0 शाखा मेरठ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किया।

कुल योग अंकन 20,90,000/- रूपये।

दिनांक :- 2-11-2010ई0 मसविदा श्री राजेश वर्मा एडवोकेट मेरठ।

RAJESH KUMAR VERMA

ADVOCATE

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 156571

1 NOV 2010

[13]

सम्पत्ति का फोटो :-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 245893

1 NOV 2010

[14]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम – 1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष का नाम व पता :– श्रीमती सायरा बानो

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

सायरा बानो

Ranjeet

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29 OCT 2010

M 973372

द्वितीय पक्ष का नाम व पता :– श्री कमल दत्त शर्मा

द्वितीय पक्ष के बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

भारत INDIA

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

पाँच सौ रुपये

UTTAR PRADESH

क्रमांक .... (तारीख से)
स्टाम्प का मूल्य .... रु.
क्रेता का नाम ....
....
स्टाम्प का प्रकार एवं मूल्य ....
....
स्टाम्प विक्रेता का नाम — नसीर अहमद
लाइसेन्स संख्या — MT-70...-87
कचहरी कम्पाउण्ड, मेरठ
विक्रय स्थल का नाम ....
विक्रय की दिनांक .... हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता

आज दिनांक 02/11/10 को मूल प्रलेख बही संख्या I खण्ड 6323 के पृष्ठ 61/94 ... क्रमांक 13131 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

कृते उपनिबन्धक मेरठ सदर

नक्शा नजरी

[illegible] मालियत/ बाजारी कीमत ---- बैनामा 20,90,000 रुपये ----

विक्रेता का नाम व पता श्रीमती साधना बत्रा पत्नी श्री मो० [illegible] [illegible] ग्राम काशी

उत्तर

क्रेता का नाम व पता श्रीकान्त दत्त शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा नि० [illegible]

सम्पत्ति स्थित मौजा ग्राम काशी जिला मेरठ ----

विक्रित प्लाट/भवन/दुकान/खसरा संख्या ---- खसरा सं० 1164 ----

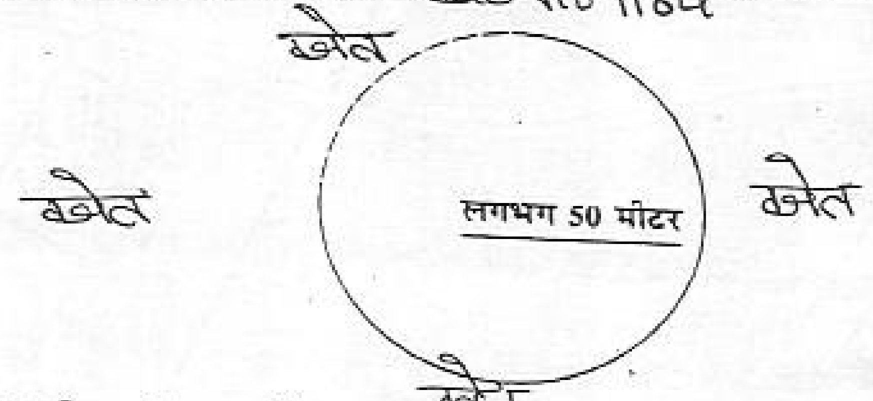

विक्रित भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क ग्राम काशी जिला मेरठ ----
2. आवासीय/वाणिज्यिक, भूमि/भवन/औद्योगिक ---- कृषि ----
3. शैक्षिक/धर्मार्थ /स्वास्थ्य केन्द्र ----
4. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज ---- x ----
5. गैस गोदाम/पैट्रोल पम्प/बस अड्डा ---- x ----
6. होटल/रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र ---- x ----
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निर्गमित कार्यालय ---- x ----
8. अन्य : ---- x ----

घोषणा–किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

दिनांक 2/11/10

हस्ताक्षर विक्रेता [signature]

[signature]
हस्ताक्षर क्रेता

नक्शा ग्राम - कांधी परगना तहसील व जिला मेरठ